

16। सर्वोच्च न्यायालय को ज्ञापित किया जाएगा और उन्हें सहमति प्राप्त होने तक उच्च न्यायालय के आदेशों के अन्वय में कार्य करने का आग्रह किया जाएगा।

17। राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, तैय्य उनका पालन करेगी।

18। विद्यार्थियों का विभाजन विद्यार्थी संघों में किया जाएगा।

19। उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन या परिवर्धन नहीं किया जाएगा।

2- प्रतिबन्ध यह भी होगा कि तैय्य द्वारा यह प्रतिबन्धित किया जाय कि

11। विद्यार्थियों के वर्गगत भ्रम/भ्रम का विधिक स्वामित्व आगामी 30 दिनों के अन्दर प्राप्त हो सकेगी।

12। विद्यार्थियों हिन्दी माध्यम से तैय्य निर्गत आदेशों के अन्वय में उच्च न्यायालय पर हिन्दी माध्यम से सम्बन्धित प्रश्न आयेगी।

3- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना तैय्य के लिए अनिवार्य होगा और यदि तैय्य यह पालन नहीं करता है तैय्य द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है उक्त पालन करने में तैय्य प्रकार की पुस्तक या शिर्षक अतिरिक्त बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जाएगा।

भवदीय,

उमेश गोखली।
तैय्यत तैय्य।

फोन 1230111/15-7-1997 तैय्यत

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 2- सहायक तैय्यत शिक्षा निदेशक मेरठ।
- 3- शिक्षा विभाग, निरीक्षक, गाजियाबाद।
- 4- निरीक्षक, भारत विद्यालय उच्च न्यायालय।
- 5- प्रबन्धक, तैय्यत परिषद लखनऊ रोड दादरी, गाजियाबाद।

आप से,

Mam



Umesh
उमेश गोखली।
तैय्यत तैय्य।

Umesh
Manager
Shaafali Public School
Dadri (G.B. Nagar)